

परिशिष्ट -13

भूमि- भवन प्रमाण पत्र प्रारूप

क्रमांक

222

दिनांक

25/3/21

द्वारा तहसील / नगरपालिका / नगरनिगम / विकास प्राधिकरण

साइल, जिला-36742

सेवामें

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान

जयपुर

विषय: भूमि-भवन प्रमाण पत्र

गाँधी मानव कल्याण बोलायरी-श्रीगंगा (समिति का नाम ) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व भवन की जांच की गई।

जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. भूमि का पता : गाँधी मानव कल्याण बोलायरी-श्रीगंगा

द. साइल, जिला-36742

2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण.) क्षेत्र	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नंबर			837, 838, 1351, 1352, 1353, 1354		
भूमि का वर्ग मीटर माप			9100		
भूमि का प्रकार यथा शैक्षणिक / संस्थागत / आवासीय / वाणिज्यिक / कृषि भूमि			शैक्षणिक		

जमाबंदी अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या / संख्याओं की भूमि मौके पर एकजुट / लगायत है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में

गाँधी मानव कल्याण बोलायरी-श्रीगंगा (समिति का नाम ) समिति के नाम दर्ज है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें )

1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का प्रस्तावित / संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।

अथवा

2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही तहसील सीमा में स्थित है।

31/03/21  
तहसीलदार / संक्षम अधिकारी

( हस्ताक्षर, नाम व कार्यालय मोहर )



# (कंपल नकल के उपयोग के लिये)

नी) ग्राम डुमोरा पटवार क्षेत्र डुमोरा भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र डुमोरा तहसील डुमोरा जिला डुमोरा राजस्थान सम्वत् 2071 से 2074

सं.	भू-धारकों के नाम	काशतकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-वृत्ति का स्वरूप	5	6	7	8	कृषक द्वारा	संवत् ..... के	संवत् ..... के लिए	संवत् ..... के लिए	के लिए
5	राज. वारदार	गौरी प्रताप बरमान सोसाईटी डुमोरा खारेदार	837 838	0.09 0.05	रकबा-हि. रकबा	4.69 6.25	0.42 0.31	नामांक 757 18.9.2017 रकबा 0.01 क्रिम फाउल दर्ज करने की स्वीकृति हुई। र. व. रकबा	समर्पण के लिये	संवत् 2071 के लिए	संवत् 2072 के लिए
		बुल बरमान	2	0.14		0.73	नामांक 758 18.9.2017	समर्पण के लिये	संवत् 2071 के लिए	संवत् 2072 के लिए	संवत् 2073 के लिए
								0.08 क्रिम संस्थापन प्रमोशनार्च 2.38 रकबा 0.01	संस्थापन प्रमोशनार्च	संवत् 2071 के लिए	संवत् 2072 के लिए
								क्रिम - संस्थापन प्रमोशनार्च गौरी मानव बरमान	संस्थापन प्रमोशनार्च	संवत् 2071 के लिए	संवत् 2072 के लिए
								सोसाईटी डुमोरा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।	सोसाईटी डुमोरा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।	संवत् 2071 के लिए	संवत् 2072 के लिए
								नामांक 483 27/10/2020	नामांक 483	संवत् 2071 के लिए	संवत् 2072 के लिए

डुमोरा  
डुमोरा तहसील-डुमोरा जिला-डुमोरा



(केपल नकल के उपयोग के लिए)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम डोबोला पटवार क्षेत्र डोबोला भू-आमिलेख निरिक्षक क्षेत्र डोबोला तहसील कान्हापुर जिला उदयपुर राजस्थान सम्वत् 20 71

खेट खतौनी सं.	पुरानी	भू-धारकों के नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-वृत्ति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा		संवत् ..... के	संवत् ..... के लिए	संवत् ..... के			
								दर सहित ब्यौरा	रकम						
1	2	3	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-वृत्ति का स्वरूप	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
381	359	राज. बलदेव	रां.बाणवक राजव बरसाठ रां.राजपदी कोबोला सा. दे-बाणवद	1351 1352 1353 1354	0.41 0.83 0.04 0.11	जोसी रां.कां. रां.कां. रां.कां.		0.37 1.56 1.56 1.56	0.15 0.36 0.06 0.17						

P 35 के अर्जांक 123 पर दर्ज करः  
27/10/2023

पटवार निरिक्षक (क)  
उदयपुर जिला



14

(3)

नम्बर रखीद ...

(बहु प्रति लेखन-पत्र पेश करने वाले आवेदन-पत्र पेश करने वाले अपने पास रखने से)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम
  2. लेखन-पत्र की किस्म ...
  3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई: ...
  4. प्रतिफल की रकम ...
- क. फीस रजिस्ट्री: ...
- (1) साधारण फीस रजिस्ट्री ...
  - (2) लेखन-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस ...
  - (3) धारा 64, 67 के अनुसार जापन जारी करने की फीस ...
- ख. धारा 57 के अनुसार प्राथियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस ...
- ग. विविध फीस:
- (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस
  - (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस....
  - (3) धारा 25 व 34 के अनुसार देर से लेखन-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस ...
  - (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता ...
  - (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस ...
  - (6) संरक्षण फीस ...
  - (7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो), प्रामाण्य रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस...
  - (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस ...
  - (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है) ...

89-

5-

2-

योग फीस ... 96

फीस के प्राप्त होने की तारीख 27 6 ... 96 ...

लेखन-पत्र या प्रतिलिपि तालाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख 27 6 ... 96 ...

रजिस्ट्रार  
 उप-विभाग  
 विभागाध्यक्ष (रजि.)










क्र.:-  
विवरण:-

क्रमांक	वकाया	लगान	निर्देश
६३७	०.०५	०.४२	ए.सा.II
६३८	०.०५	०.३९	ए.सा.I
योग:-	<u>२</u>	<u>०.९४</u>	<u>०.७३</u>

उपरोक्त आवाजीयान क्रमा. २ वकाया ०.९४ अवकाशपूर्वक लगान  
०.७३ निधान में जमा है - यह आवाजीयान गांव की आवादी के  
समीप पच्छिम, दक्षिण दिशा में पाठकवा, कोमला रोड पर सोर्स कुई  
है। और यहां किसी प्रकार का काम चलाने नहीं है कि आवाजीयान  
मुफ्त दोपहर ५.०० से ५.३० तक है व मसा की कच्चा काठन है सरकारी वेक में  
मैंने वकालत है और लगान भी है जो फलवाना है एवं हर प्रकार  
की लागत व मकायतों से मुक्त है - यदि मुफ्त दोपहर को अपनी व्यवस्था  
दारी चलाता है जिसमें खर्चों की जरूरत है व यह आवाजीयान गांव  
में इमती जायगी मात्र कोसायरी प्रकार बकीर न के, श्रेष्ठक है जिससे  
उपरोक्त आवाजीयान को कुछ फल प्राप्त वाली वाली मालिम अपनी व्यवस्था  
आल एकमा ७५०० अंके मान प्रचार पाठसा वरमा जिनके  
वकाश में परकार मकाया - २ वकाले दार के साथ बड़े कारना है



ड. मे. ३७७७७७७  
पुनः:-३






3:

आज भोपाला संस्थान की कुल राजस वपरीद दार से प्रकृ भोपाला ने नकद एक  
 प्रकृ प्राप्त कर लिखे हैं व नकद को प्रकृ भोपाला को देना नही वफा है मया  
 उपरोक्त नकद मुद्रा जापदाद पर नकद वपरीद दार को करा दिया गया है  
 वपरीद दार नकद पर प्रकृ से जापदाद उठावे एवं उपरोक्त व उपरोक्त करे.  
 जिसमें प्रकृ भोपाला व मेरी कोठे-कोठे का. कार उतर किसी किसी  
 का नही वफा किसी के दावी दार होने पर उसका उतर दायित्व प्रकृ भोपाला  
 व मेरी जापदाद वपरीद दार एवं वपरीद दार को अपनी जमे नकद व नकद  
 वपरीद व प्रकृ सपिन वपरीद दार का कतिब दार होगा किसी  
 की वफा में भोपाला करवा दुगा - सबकासी वकालत में वपरीद दार अपना  
 नाम कायम करके लेवे व सरकारी उगाव नही कराये कोतः प्रकृ  
 भोपाला प्रकृ भोपाला प्र. स. १ न कंपनी राजी वकालत वकालत सपिन वकालत  
 वफा । कोवश्य का प्र काम कोये । इति दिनांक २२/३/१९०४

मोहन लाल  
 १-पंजायक, काठान  
 बका उदयपुर (राजप.)



प्रलेख लेखक  
 इसील भांडाव, जिला उदयपुर

दः मे ३० मा ल  
 मवे नाल्य रुचक पोता जीपानी राजी न. अंगना मवाक

दः मे ३० मा ल  
 दः मे ३० मा ल  
 माहुत  
 माहुत



6

"FORM-D"

[See rule 10(4)]

Office of Prescribed Authority (S.D.O. Jhadol, Dist. Udaipur)

No. 1/2017/ICU

Dated: 22/5/17


REVISED COVERSION ORDER

On the application of गांधी मानव कल्याण सोसायटी ओगणा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर the agricultural land already Converted for a Non agricultural purpose is here by converted for revised non agricultural purpose under rule 10 (4) of the Rajsthan Land Revenue ( Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules 2007, the particulars of which are given as under:

S.No.	Particulars	
1	Name / Names of tenant or co-tenants	गांधी मानव कल्याण सोसायटी ओगणा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
2	Aadhar Number	-
3	Bhamashah Number	-
4	Father's / husband's name	-
5	Address with mobile number	ग्राम ओगणा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
6	E-mail ID (if any)	-
7	Whether the applicant is a member of SC / ST (Yes / No)	नहीं
8	Purpose of original conversion indicating the Number and date of order	आवासीय प्रयोजन, तहसीलदार झाडोल के आदेश क्रमांक 34/92 दिनांक 10.06.1992
9	Revised Purpose of conversion	संस्थागत प्रयोजन
10	Detail of the Land converted:	
	(a) (i) Name of District	उदयपुर
	(ii) Name of the Tehsil	झाडोल
	(iii) Name of the Village	ओगणा
	(b) Khasra No. of the land along with area of each khasra no. (in hectare)	खसरा संख्या 837 रकबा 0.09 है.
(c) Area converted (in sq. mtr.) indicating the area of each khasra no.	खसरा संख्या 837 रकबा 0.08 है. अर्थात 800 वर्ग मीटर	


**Note** :-A duly verified copy of the relevant part of revenue map showijg the land converted for revised non agricultural purpose is enclosed.

11	Rate of conversion charges payable on original conversion	1/ रु. प्रति वर्ग मीटर
12	Amount of premium deposited with original conversion	400/ रु.
13	Amount of premium revised conversion, if any, with date & No. of chalan.	6364/ रु., चालान संख्या 0016011472 दिनांक 31.03.2017 में शामिल

  
झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)



14	Amount of penalty deposited, if any, with date & No. of chalan.	20292/ रु. चालान संख्या 0016011472 दिनांक 31.03.2017 में शामिल
15	Amount of interest deposited, if any, with date & No. of chalan.	-
16	Other particulars, if any	-
17	<p>The above conversion order shall be subject to the following conditions:-</p> <p>(i) The Land converted for the above non agricultural purpose shall not be used for any other purpose. without obtaining prior permission of the prescribed authority.</p> <p>(ii) If the application fails to use the land for the revised converted purpose within a period of 2 years from the date of the issue order. money deposited shall be forfeited.</p> <p>(iii) No land as mentioned in rule 4 shall be used for non agricultural purpose without valid permission from the prescribed Authority.</p> <p>(iv) No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed Authority.</p>	




Seal of prescribed Authority


No. शस्त्र/1/2017/1 (1)  
Copy to:

- 1- District Collector, Udaipur
- 2 - Gram Panchayat - ओगणा, पंचायत समिति झाडोल।
- 3 - the Applicant - गांधी मानव कल्याण सोसायटी ओगणा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।
- 4 - तहसीलदार झाडोल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Signature of the prescribed Authority

  
Sub Divisional Officer Jhadol,  
झाडोल, Dist: Udaipur (राज०)  
Date 29/5/17

Signature of the prescribed Authority

  
sub divisional officer jhadol  
उपसब डिविजनरी  
झाडोल, जिला उदयपुर (राज०)



प्ररूप - ख

{देखियें नियम 9(3),(4) और (6)}

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर


क्रमांक:- भू.अ./भू.रू./2017/1029

दिनांक 22/5/17

संपरिवर्तन आदेश

गांधी मानव कल्याण सोसायटी ओगणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर के आवेदन पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं:-

1	आवेदक खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	गांधी मानव कल्याण सोसायटी ओगणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/ जनजाति का सदस्य है:	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम ओगणा, ग्राम पंचायत ओगणा
	(ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल(हेक्टेयर) में	खसरा संख्या 838 रकबा 0.05 है.
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में या वर्ग मीटर में) टिप्पणी: अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति संलग्न है।	खसरा संख्या 838 रकबा 0.05 है. अर्थात 500 वर्ग मीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन:	संस्थागत प्रयोजनार्थ
5	संदेय संपरिवर्तन प्रभारों की दर:	डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत
6	चालान की संख्या और तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम:	चा.सं. 0016011472 दिनांक 31.03.2017 में शामिल राशि 4227 / चालान की कुल राशि रु. 57470 /
7	चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम:	चा.सं. 0016011472 दिनांक 31.03.2017 में शामिल राशि रु. 12681 / चालान की कुल राशि 57470 /
8	चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम:	-
9	क्या आदेश विनियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है:	हां

  
उपखण्ड अधिकारी  
झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)



10	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों:
11	<p>उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:--</p> <p>(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।</p> <p>(2) यदि आवेदक इन नियमों के नियम 14 में विनिर्दिष्ट कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि, यदि कोई हो, के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धनराशि समपहृत हो जायेगी।</p> <p>(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।</p> <p>(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।</p> <p>(5) The applicant is allowed to remove ----- trees from the converted land on the condition that he will plant three times of shady or dense trees in lieu of the removed trees with in a year. Failing which he shall be charged Rs 500 per year which is remained unplant in from of penalty in revenue head.</p>

विहित प्राधिकारी की मुहर



क्रमांक:- 21/वश्व/17/01

प्रतिलिपि:-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर
- 2 तहसीलदार झाडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3 ग्राम पंचायत ओगणा, पंचायत समिति झाडोल
- 4  गांधी मानव कल्याण सोसायटी ओगणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर को सूचनार्थ।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी झाडोल  
झाडोल, जिला उदयपुर (राज०)

दिनांक 22/5/17

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी झाडोल  
झाडोल, जिला उदयपुर (राज०)



प्ररूप - ख

{देखियें नियम 9(3),(4) और (6)}

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर

क्रमांक:- भू.अ./भू.रू./2017/१

दिनांक 13/6/17

संपरिवर्तन आदेश

संस्थापक, मानव कल्याण सोसायटी ओगणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर के आवेदन पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है:-

1	आवेदक खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	संस्थापक, मानव कल्याण सोसायटी ओगणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/ जनजाति का सदस्य है:	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम ओगणा, ग्राम पंचायत ओगणा
	(ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल(हैक्टेयर) में	खसरा संख्या 1351 रकबा 0.41 है., 1352 रकबा 0.23 है. 1353 रकबा 0.04 है. 1354 रकबा 0.11 है कुल रकबा 0.79 है.
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में या वर्ग मीटर में) टिप्पणी: अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति संलग्न है।	खसरा संख्या 1351 रकबा 0.41 है. 1352 रकबा 0.23 है ,1353 रकबा 0.04 है., 1354 रकबा 0.11 है , कुल रकबा 0.79 है अर्थात 7900 वर्ग मीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन:	संस्थागत प्रयोजनार्थ
5	संदेय संपरिवर्तन प्रभारों की दर:	डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत
6	चालान की संख्या और तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम:	चा.सं 0016011968 दिनांक 31.03.2017 में शामिल राशि 66795/चालान की कुल राशि रू 200088/
7	चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम:	चा.स. 0016011968 दिनांक 31.03.2017 में शामिल राशि 103997/ चालान की कुल राशि रू 200088/
8	चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम:	-



9	क्या आदेश विनियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है:	हां
10	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों:	
11	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। (2) यदि आवेदक इन नियमों के नियम 14 में विनिर्दिष्ट कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि, यदि कोई हो, के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धनराशि समपहृत हो जायेगी। (3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। (5) The applicant is allowed to remove ----- trees from the converted land on the condition that he will plant three times of shady or dense trees in lieu of the removed trees with in a year. Failing which he shall be charged Rs 500 per year which is remained unplant in from of penalty in revenue head.	



कमांक:- श.क.व/अ.क./17/2

प्रतिलिपि:-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर
- 2 तहसीलदार झाडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3 ग्राम पंचायत ओगणा, पंचायत समिति झाडोल
- 4 संस्थापक, मानव कल्याण सोसायटी ओगणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर को सूचनार्थ।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी झाडोल  
झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

दिनांक 13/6/17

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी झाडोल  
झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)